

पीछसीन अधिकारी के आज मुख्य
द्वारे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में
ब्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की
बालना में दिनांक 4.4.18 को पेश हो।

आदेशानुसार

R
रीडर

444A

पत्रावली पूर्व आदेश की वकील उमर फारूक उमर,
मिशन चार्ज पत्रावली पूर्व आदेश की दिनांक
25.12.17 को पेश हो।

उपरखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

2.5.18

पीछसीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर
द्वारे/अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनिक कार्य में
ब्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की
बालना में दिनांक 4.6.18 को पेश हो।

आदेशानुसार

R
रीडर

याच आपके द्वारे अभियान - 2018

4.6.18

पत्रावली पूर्व आदेश की वकील उमर फारूक उमर
वकील उमर फारूक उमर 0-13R-1 CPC को
जवाब पूर्व आदेश किया जो आज को मिला
किया गया
वकील उमर फारूक उमर को उमर उमर फारूक उमर
को जवाब पूर्व आदेश किया जो आज को मिला

R
उपरखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

विवाद है। अतः, उक्त उच्चतम विद्वान् वर्य
के द्वारा न्यायवादी और अनुमानित उपाय
करने।

अधिकतम उपायो - जबकि उपायों
को विवेक विना कि वाद उच्चतम वर्य की
अनुमानित वर्य कोई विधिक कारण - ही दर्शाया
है। वाद उच्चतम वर्य की फाल्गुन वर्य की गिरी है
व उपायो फाल्गुन वर्य निम्न है। वर्य विचारित
युक्ति का खोजने ही नहीं है वर्य विचारित
विचारण के वर्य की अनुमानित का कोई
अनुमान ही नहीं है अतः, उपायो वर्य
स्वीकार विना जावे।

अतः उपायो उपायो का अनुमान

विचार वर्य - उक्त वाद उच्चतम वर्य की वर्य
खोजने उपायो वर्य उच्चतम वर्य वर्य
वर्य विचारण का वर्य वर्य है। उच्चतम
वर्य अनुमानित वर्य वर्य उपायो वर्य की
फाल्गुन वर्य की गिरी है वर्य उक्त वाद विद्वान्
करना पाएगा है तथा विचारण के वाद वर्य
अनुमानित पाएगा है वर्य उपायो वर्य वर्य
का खोजने वर्य है।

अतः उपायो उपायो वर्य वर्य वर्य
अतः कि वाद विद्वान् की अनुमानित वर्य वर्य
अनुमानित वर्य वर्य वर्य वर्य वर्य
अतः विचारण का न्याय वाद वर्य वर्य वर्य
है वर्य वर्य वर्य वर्य वर्य वर्य वर्य वर्य
अतः वर्य वर्य वर्य वर्य वर्य वर्य वर्य वर्य

पीठासन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट 